

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा

ब्लॉक-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटलनगर, रायपुर (छ.ग.)

(फोन- 0771-2636413 फैक्स- 0771-2263412)

(Email - highereducation.cg@gmail.com Website - www.highereducation.cg.gov.in)

कमांक - 699 / 126 / आउशि / राज.स्था. / 2024

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/7/2024

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त राजकीय विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
छत्तीसगढ़।

विषय :- प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 अनुसार अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था बाबत
संदर्भ :- उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक-एफ-3-54/स्था/2020/38-1 दिनांक 20.06.2024 एवं पत्र कमांक-77/निस/सं/उशि/2024 दिनांक 12.07.2024

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों के माध्यम से प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त के संबंध में विभाग की जानकारी में यह लाया गया है कि अतिथि व्याख्याता नीति-2024 लागू होने के उपरांत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विगत वर्षों में कार्यरत रहे अतिथि व्याख्याताओं द्वारा पीएचडी./एम.फिल उपाधि प्राप्त करने का उपाधि/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसे अतिथि व्याख्याता जिनके द्वारा पूर्व में कार्यरत विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के कुलसचिव/प्राचार्यों के बिना संज्ञान में लाये एवं बिना अवकाश स्वीकृति, बिना अनुमति के अध्यापन कार्य के अवधि में एमफिल/पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया गया है जो नियमों के प्रतिकूल है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेग्यूलेशन के अनुरूप एमफिल/पीएचडी की उपाधि प्राप्त नहीं किया गया है, का अतिथि व्याख्याता चयन के पूर्व सूक्ष्मतापूर्वक जांच की जावे तथा जांच उपरांत सही पाये जाने पर ही ऐसे लोगों को अतिथि व्याख्याता हेतु आमंत्रित किया जाये।

भविष्य में इस प्रकार संदेहास्पद पी.एच.डी./एम.फिल उपाधिधारी अतिथि व्याख्याताओं के चयन को लेकर शिकायत सही पाये जाने की स्थिति में चयनकर्ता समिति के सदस्यों एवं प्राचार्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

24/7
आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)